



॥ प्रकृति: रक्षति रक्षित ॥

## कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 4794 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 29, / 05 / 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :- मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रॉ-वाटर आई0पी0एस0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.320 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपके द्वारा इंगित ऑनलाईन आपत्ति दिनांक-03.05.2021।  
महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में आपके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन कमी इंगित की गयी है कि Layer information of MDF is not given in DSS report uploaded online. Kindly include the information of MDF in DSS report also. इस सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-4588/12-1, दिनांक-19.04.2021 में ही स्पष्ट किया गया है कि वृक्षारोपण स्थल का डी0एस0एस0 विश्लेषण रिपोर्ट Decision Rule I के आधार पर है। MDF अथवा VDF सम्बन्धित सूचना Decision Rule II से प्राप्त होती है। चूंकि क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण पोर्टल में उक्त क्षेत्र पर Grid नहीं बन पाते हैं, परिणामतः Decision Rule II काम नहीं कर पाता है। अतः उक्त पैच के लिए यह सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक